के लिए आयु-सीमा न बढ़ाने का निर्णय किया है ।

**भर्ती और चयन की प्रक्रिया पर विचार करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित समिति**

**731. श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया पर विचार करने और चयन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए गठित की गयी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्)** : (क) विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) ।

(ख) और (ग) प्रारम्भ में समिति को अपने गठन के 6 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी । तथापि, संघ लोक सेवा आयोग ने इसके कार्यकाल को 6 मास की अवधि के लिए अर्थात 11 सितम्बर, 1989 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

**विवरण**

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री सतीश चन्द्र,<br>भूतपूर्व अध्यक्ष,<br>विश्वविद्यालय अनुदान आयोग | अध्यक्ष |
| 2. | श्री टी०आर० सतीश चन्द्रन,<br>आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त),<br>भूतपूर्व मुख्य सचिव,<br>कर्नाटक सरकार । | सदस्य |
| 3. | श्री एस०एन०माथुर, आई०<br>पी०एस०, (सेवानिवृत्त),<br>भूतपूर्व निदेशक, आसूचना<br>ब्यूरो । | सदस्य |
| 4. | डा० के० वैंकट रमैया,<br>भूतपूर्व-सदस्य,<br>संघ लोक सेवा आयोग । | सदस्य |
| 5. | डा० एफ० मेनजिज,<br>निदेशक,<br>टाटा प्रबन्ध प्रशिक्षण<br>संस्थान, पुणे । | सदस्य |
| 6. | श्री सी०एस० स्वामीनाथन<br>आई०ए० एण्ड ए०एस०<br>(सेवानिवृत्त) भूतपूर्व-<br>सचिव, भारत सरकार । | सदस्य |
| 7. | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग<br>का प्रतिनिधि (श्री डी०पी०<br>बागची, संयुक्त सचिव) । | सदस्य |
| 8. | अपर सचिव<br>संघ लोक सेवा आयोग<br>(श्री पी०सी०होटा) : | सदस्य<br>सचिव |

**विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देने के संबंध में समिति**

**732. श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल कितना है ;

(ख) विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति ने कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ;

(ग) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और